"महत्वपूर्ण"

संख्याः 1177 / 29-7-37(के.ओ.)/ 90

प्रेषक :

के पी शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में :

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 6, अप्रैल, 1990

विषयः- मिट्टी का तेल - वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना ।

महोदय,

मिट्टी के तेल के वितरण के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल निर्धारित मात्रा में व सही मूल्य पर नहीं मिल पाता । मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली करने के लिए शासन द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं के साथ राशन कार्डों का सम्बद्धीकरण ।

1-1 : उचित दर की दुकानों के अतिरिक्त अन्य कार्यरत मिट्टी के तेल के रिटेलरों के साथ राशन कार्डों के समुचित सम्बद्धीकरण के न होने के कारण विक्रेता द्वारा इसका दुरुपयोग करने की संभावना रहती है । इस कारण से यह आवश्यक है कि ऐसे फुटकर विक्रेताओं के यहाँ राशन कार्डों का सम्बद्धीकरण करके सम्बद्ध उपभोक्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जाए । ऐसे फुटकर विक्रेता, अटेचमेन्ट की लिस्ट के साथ उचित दरों की दुकानों के लिए निर्धारित सभी अभिलेख मेनटेन करें ।

1-2 : समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उचित दर के दुकानदार एवं उक्त प्रकार के रिटेलरों के बीच सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या के आधार पर मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन कर दें, तथा नियमित रूप से उनके उठान एवं वितरण की मानिटरिंग करते रहें ।

1-3 : "अपनी दुकान स्वयं चुनें" योजना के अन्तर्गत यदि कोई कार्ड धारक अपना कार्ड किसी रिटेलर से हटाकर किसी निकटस्थ उचित दर की दुकान से सम्बद्ध कराना चाहे तो आवेदक के राशन कार्ड को तद्नुसार सम्बद्ध कर दिया जाये ।

279

(107) (187)

निष्क्रिय विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही:

2: लाइसेन्स प्राप्त कुछ ऐसे रिटेलर भी हैं, जो आवंटन के अनुसार कई-2 महीने मिट्टी का तेल नहीं उठाते हैं । ऐसे विक्रेताओं से सम्बद्ध क्षेत्र के उपभोक्ता मिट्टी का तेल पाने से वंचित रह जाते हैं । ऐसे निष्क्रिय डीलरों के रखने का कोई औचित्य नहीं है । अतः ऐसे रिटेलरों के द्वारा मिट्टी के तेल के उठान एवं वितरण की मानिटरिंग की जाये और यदि कोई विक्रेता लगातार तीन माह तक मिट्टी के तेल के उठान एवं वितरण का कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लाईसेन्स को रद्द करने की कार्यवाही की जाये ।

उचित दर की दुकानों एवं रिटेलरों के इमों पर नम्बरिंग:

3-1: उचित दर के दुकानदार/रिटेलरों द्वारा मिट्टी के तेल के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विक्रेता के इमों पर लाईसेन्स नम्बर, लाईसेन्सी का नाम, मोहल्ला/ग्राम का नाम पेन्ट से बड़े अक्षरों में लिखाया जाय । उचित दर की दुकानों के इमों में "उचित दर की दुकान" लिखा जाय ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके ।

3-2: थोक विक्रेताओं के यहाँ से मिट्टी के तेल के उठान के बाद उचित दर के दुकानदार/रिटेलरों की आकस्मिक जाँच कराई जाय ताकि वे मिट्टी के तेल का दुरूपयोग न कर सके तथा सही डीलरों द्वारा सही जगह पर मिट्टी का तेल पहुँचाया जाना भी सुनिश्चित हो सके ।

मिट्टी के तेल के वितरण का अनुश्रवण:

4: उपभोक्ताओं/कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसकी सघन जाँच/पड़तालिंग की जाये तथा दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

डीजल/मिट्टी तेल के वितरकों पर सतर्कता:

5: यह भी जानकारी में आया है कि मिट्टी के तेल को डीजल में अपमिश्रित करके उसका दुरूपयोग किया जा रहा है, इस पर नियंत्रण रखने के लिए:

(क) मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं के आवंटन व वितरण पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वे फुटकर विक्रेताओं से मिलकर इसका दुरूपयोग न कर सकें ।

280